

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स: 0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक 07.07.2026

विषय:- गुमला जिलान्तर्गत अल्बर्ट एक्का आवासीय एथलेटिक्स (बालक) छात्रावास के विशेष मरम्मत कार्य हेतु रु० 35,00,000/- (पैतीस लाख) मात्र निधि का आवंटन।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-09/रा०, दिनांक-29.04.2026 तथा प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं०-49/रा०, दिनांक-01.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची के पत्रांक-147/साझा, दिनांक- 06.06.2026 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष - 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - उप शीर्ष - 56 - राज्य के विभिन्न स्टेडियमों एवं खेल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव - विस्तृत शीर्ष - 05 - निर्माण- प्राथमिक इकाई -43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) इकाई मद में उपबंधित राशि से रु० 35,00,000/- (पैतीस लाख) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोड: 52S 22040079656000543)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	जिला	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि (राशि रु० में)
1	2	3	4	7
1	गुमला	Special Repair of Albert Ekka Residential Athletic (Boys) Hostel at Gumla, Jharkhand	49,16,300/-	35,00,000/-
कुल			49,16,300/-	35,00,000/-

(पैतीस लाख) रुपये मात्र।

- विषयांकित योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची के माध्यम से कराया जाना है, अतः विषयांकित योजना के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची को Implementing Agency बनाया जाता है।
- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे जो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा आवंटित राशि झारखण्ड खेल प्राधिकरण के पी०एल० खाता में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राशि को पी०एल० खाता में उपलब्ध कराने में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2643, दिनांक- 29.11.2024 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची विषयांकित योजना हेतु कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची का अनुमोदन प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।
- योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी निदेशक, साझा आश्वस्त हो लेंगे कि विषयांकित कार्य किसी पूर्व कार्य का दोहराव/दोहरीकरण नहीं है। किसी भी प्रकार के दोहरीकरण (Duplicacy) के लिए कार्यकारी निदेशक, साझा उत्तरदायी होंगे।

7. निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची द्वारा योजना का कार्यान्वयन पी०डब्ल्यू०डी० कोड के आलोक में विषयांकित योजना से संबंधित मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जाय।
8. विषयांकित योजना दिनांक-31.01.2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में ही कराया जायेगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।
10. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।
11. राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची से की जायेगी।
12. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक-17.04.98 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
13. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
14. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
15. निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करावेंगे तथा प्रत्येक पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

ज्ञापांक : 57/51

प्रतिलिपि:-

महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची /कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त /विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, गुमला /कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 07-07-2026

सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

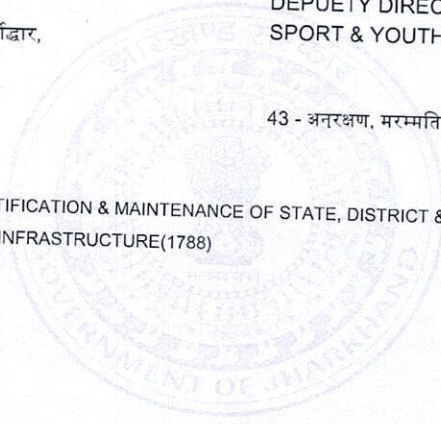
Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2/ST 03-16/16/K/-57

दिनांक - 07-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 22040079656000543 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00 - खेलकूद तथा युवा सेवाएं 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 56 - राज्य के विभिन्न स्टेडियों एवं खेल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, ससज्जीकरण एवं रख-रखाव 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	38577	PRJOTH015 NIRBHAY KUMAR DEPUETY DIRECTOR SPORT & YOUTH 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	3,500,000.00 रुपये पैंतीस लाख
State Scheme : Central Scheme : RENOVATION, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL STADIUM & SPORTS INFRASTRUCTURE(1788)				



योग: रुपये पैंतीस लाख

3,500,000.00

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY

Run Date: 7/7/2026